

बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। बिहार में कुल दो चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पहले चरण का वोट 6 नवंबर को डाले जाएंगे जबकि दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होंगे। चुनावी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में मुख्य मुकाबला भाजपा-जदयू की गठबंधन वाले एनडीए और राजद-कांग्रेस के गठबंधन वाले महागठबंधन के बीच है। ज्ञानेश

कुमार ने बताया कि बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से चार लाख वरिष्ठ नागरिक हैं और 14,000 मतदाता 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। चौदह लाख मतदाता पहली बार मतदान कर रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार के मतदाताओं को बताना चाहता है कि हम कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए पारदर्शी तरीके से



चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को पूरी तरह निष्पक्षता से काम करने और हितधारकों के लिए सुलभ रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी तरह निष्पक्षता से काम करने और हितधारकों के लिए सुलभ रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी

मीडिया हाउस या व्यक्ति के माध्यम से कोई गलत सूचना मिलती है, तो चुनाव आयोग उसका खंडन करेगा।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर CAPF को पहले से तैनात किया जा एगा।... सभी अधिकारियों को पूरी यक्ष तरीके से काम करना होगा किसी भी माध्यम या तौर पर कोई फजी खबर या सूचना है, तो उसका खंडन जाएगा। ड्रम, शराब और धूम लेन-देन को रोकने के

लिए सभी चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

वर्तमान में देखें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 131 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं।

एनडीए में भाजपा के पास 80, जनदू के पास 45 और जीवन राम मांझी की हम (एस) के पास 4 सीटें हैं। इसके अलावा, एनडीए को दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर, महागठबंधन में राजद की 77, कांग्रेस की 19, भाकपा (माले) की 11, माकपा की 2 और भाकपा की 2 सीटें शामिल हैं।



कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई पर जुता फेंकने के बाद आया है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका लिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमले की कोशिश के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता रakesh किशोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जुता फेंकने का प्रयास करने वाले किशोर को

आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक देश भर की किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या कानूनी प्राधिकरण में वकालत करने से रोक दिया गया है। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें अधिवक्ता को आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि निर्लेखन जारी क्यों नहीं रखा जाना चाहिए और आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

दिवाली पर हरित पटाखों पर प्रतिबंध हटाने के लिए दिल्ली सरकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी: रेखा गुप्ता

दिल्ली, 06 अक्टूबर।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने
सोमवार को कहा कि उनकी
सरकार राष्ट्रीय राजधानी में
दिवाली पर हरित पटाखे फोड़ने
की अनुमति के लिए उच्चतम
न्यायालय का दरवाजा
खटखटाएगी।

गुप्ता ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रमाणित हरित पटाखों के उपयोग, जनभागीदारी सुनिश्चित करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और उनकी सरकार ने शहर में



करोड़ों लोगों द्वारा इस त्योहार को मनाने के मद्देनजर अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के

नैनीताल, 06 अक्टूबर

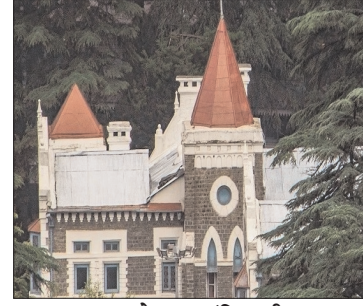
उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले
के हल्द्वानी में 15 साल पहले हुए
उदय प्रकाश अग्रवाल उर्फ बबलू
हत्याकांड में प्रकाश पाण्डेय उर्फ
विकास त्यागी और उमेश
सजवाण की आजीवन कारावास
की सजा रद्द कर उन्हें बरी कर
दिया।

उच्च न्यायालय ने हालाकिमामले में तीन सह आरोपियों घनानंद जोशी, सुरज वर्मा और चमन लोहारी को बरी किए जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और इस संबंध में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध है। उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर

को यह फैसला सुनाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के खिलाफ पाण्डेय व सज्जण और मामले में तीन सह आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी थी। अग्रवाल की 18 अप्रैल, 2010 को हत्या कर दी गयी थी और मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय ने पाण्डेय व सजवाण को तत्कालीन भारतीय दंड संहिताकी धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जमाना भी लगाया।



अदालत ने हालांकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को तर्कसम्मत संदेह पक्ष से परे साबित करने में विफल रहा। खंडपीठ ने कहा कि दोषसिद्धि मुख्यतः पुलिस के

समक्ष दिये गये कथित कबूलनामे पर आधारित थी, जो सबूत के रूप में अस्वीकार्य थी।

पीठ ने कहा कि यह बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत सह आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किये जा सकते थे।

लत ने कहा कि यह बयान
मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज
किया गया था और इसलिए
कानूनी वैधता नहीं थी।

अदालत ने यह भी कहा कि सितंबर 2010 को रोडवेज स्टैंड के पास आरोपियों के से तमंचे और कारतूसों की

कथित बरामदगी की पुष्टि किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं की गयी थी। पीठ ने कहा कि इसके अलावा बरामद हथियारों को अपराध से जोड़ने वाली फोरेंसिक की कोई रिपोर्ट भी नहीं थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कथित प्रत्यक्षदर्शी भास्कर बृजवासी की गवाही भी भरोसे के योग्य और विश्वसनीय नहीं थी। अदालत ने पाया कि घटना का गवाह होने का दावा करने के बावजूद उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, मृतक की सहायता करने में विफल रहा और उसका बयान वर्षों बाद दर्ज किया गया।

बिहार चुनाव: बीजेपी आश्वस्त, जनता देगी ऐतिहासिक
जनादेश, फिर एनडीए सरकार : अमित शाह

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर।
चुनाव आयोग ने सोमवार को
बिहार विधानसभा चुनाव
कार्यक्रम की घोषणा कर दी।
243 विधानसभा सीटों के लिए
दो चरणों में 6 नवंबर और 11
नवंबर को मतदान होगा और
मतगणना 14 नवंबर को होगी।
इसको लेकर राजनीतिक दलों की
ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर
लिखा कि चुनाव आयोग ने बिहार
विधानसभा चुनाव की घोषणा कर
दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के
लिए समस्त बिहारवासियों को
बधाई। मोदी जी के नेतृत्व में
एनडीए सरकार ने बिहार को
जंगलराज से निकालकर विकास
और सुशासन की नई दिशा दी है।
आज बिहार, गरीब कल्याण के



साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव

है। यह देश व प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनकल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का यह चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने,

धुसपैठिया मुक्त करने और जंगलराज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पुण्यधरा की जनता इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एवं ठुऊआ को अपना आशीर्वाद और प्रचंड मतों से समर्थन प्रदान करेगी।

आर के मीडिया

हिन्दी दैनिक न्यूज पेपर, साप्ताहिक
न्यूज पेपर, हिन्दी मासिक पत्रिका
का पेज बनवाने के लिए
सम्पर्क करें: 9199355950



गोंदिया में तीन लोग
तालाब में डूबे

गोंदिया। महाराष्ट्र में गोंदिया जिले के एक खेत में बने तालाब में दो किशोर और एक 21 वर्षीय युवक डूब गया। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आदित्य सुनील बैस (15), तुषार मनोज राउत (17) और अभिषेक रामचरण आचले (21) रविवार देर रात देवरी तहसील के पुरादा गांव में डूब गए।

सालेकसा थाने के निरीक्षक भूषण बुराडे ने बताया, हत्यारे यहां एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने आए थे। उनकी मोटरसाइकिल तालाब के पास खड़ी देखी गई। इसके तुरंत बाद शव बरामद कर लिए गए।



NEW LIGHT CLASSES

TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg.
Near Diamond Talkies,
L. T. Road, Borivali (West)
Mumbai - 400 092
Maharashtra

ADMISSIONS OPEN

ALL OVER INDIA

ENROLL NOW



SMART CLASSROOM

(ONLINE/OFFLINE)

Courses Offered

● Std. XI & XII (Sci.)	● MHT-CET
● NEET	● Polytechnic & Engg
● JEE (Main & Advance)	● Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

